न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निगरानी – 4948/2018/पन्ना/भू.रा.

पवन कुशवाहा तनय मनोज कुमार कुशवाहा
निवासी धाम मोहल्ला, पन्ना
जिला पन्ना ....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
2. किशोरी बाई कुशवाहा पत्नि स्व. चन्द्रप्रकाश कुशवाहा
निवासी धाम मोहल्ला, पन्ना
जिला पन्ना ....अनावेदकगण

09 JUL 2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहितां 1959

उपरोक्त नामांकित आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1297/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 11/5/18 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुनहरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 88/3 रकवा 0.033 हे भूमि अनावेदक क्र 2 के भूमिस्वामी स्वामित्व में दर्ज भूमि थी जिसे अनावेदक क्र 2 द्वारा आवेदक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/2/17 के माध्यम से विक्रय कर मालकाना हक व कब्जा सौंपा गया तथा विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध एक अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर सभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे उनके द्वारा बिना सुनवाई के मनमाने तौर पर प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4948/2018/पन्ना /भू0रा0

पवन कुशवाहा विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-03-19	आवेदक अभिभाषक श्री नितेन्द्र सिंघई को प्रकरण के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 1297/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11-5-2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो का अवलोकन किया एवं आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। इस प्रकरण में आवेदिका ने ग्राम सुनहरा की भूमि खसरा कमांक 88/3 रकवा 0.033 हे0 भूमि अनावेदक कमांक 2 से विकय उपरांत नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर इश्तहार प्रकाशन किया। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि वर्ष वर्ष 1955-56 में म0प्र0 शासन दर्ज होना एवं वर्ष 1961-62 में रामदयाल पिता अनंता काछी के नाम की टीप अंकित होने का लेख किया। स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि थी जिसका बंटन किया गया था। इसी कारण तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12-09-2017 को यह निष्कर्ष निकालते हुये कि बिना विकय अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि का विकय किया है इसलिए आवेदन पत्र निरस्त किया। इसी कारण	

(7)

पवन कुशवाहा विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को उचित माना। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया विक्रय वैध नहीं माना जा सकता। इस संबंध में 2007 आर एन 2018 रहीम खां विरूद्ध सुरेश चन्द्र में माननीय उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपदित किया है–

"पट्टे में शासन द्वारा जमीन दी गई है तो दस वर्ष तक उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है, यदि 10 वर्ष बाद भी अंतरण करना हो तो कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। अनुमति के बिना अंतरण शून्य है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सहित दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित उचित है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया ही आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 28/3/19
सदस्य

7